राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 93/2009

महादेव प्रसाद बैरवा मृतक
विधिक उत्तराधिकारी
1/1 गजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद बैरवा
1/2 कल्पना पुत्री स्व. श्री महादेव प्रसाद बैरवा
1/3 योगराज पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.02.2009
आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2005 एवं 07.12.2005 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जावे और जो अपीलार्थी से रूपये 84,000/– की वसूली कर ली गई है, उसे मय ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से वापिस लौटाई जावे एवं आदेश दिनांक 10.04.2008 (अनुलग्नक–ए31 से ए41) को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से वसूली नहीं किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और उसे राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,

जयपुर में पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 24.05.2005 के द्वारा अपीलार्थी व अन्य कार्मिक की वर्ष 1986–87 से लेकर 1988–99 तक भण्डार के वार्षिक लेखों में जो कम पाई गई सामग्री दर्शायी, उसकी वसूली का आदेश पारित किया गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से रूपये 1,85,314/– और लेखों के आधार पर रूपये 4,54,151/– जिसमें से रूपये 32,856 श्री राधेश्याम के वर्ष 1998–99 के शेष रूपये 4,21,295/– अपीलार्थी से वसूल किए जाने के आदेश किए गए। अपीलार्थी का कथन है कि वर्ष 1986–87 से 1998–99 तक भण्डारी के पद पर कार्यरत था। उस समय भण्डार में अधिकांश फार्म बिकने में लगभग एक जैसे थे। अपीलार्थी का कथन है कि तत्समय भण्डार का भौतिक सत्यापन करवाने पर पाया गया कि भण्डार में फार्मों की कमी व बेसी है। इस संबंध में विभाग द्वारा निम्न वर्षों में कमी व बेसी दर्शायी गई।

क्र.सं.	वर्ष	फार्मों की कमी (रूपये में)	फार्मों की बेसी (रूपये में)	अनुलग्नक संख्या
1.	1987–88	62999	85301	ए/2
2.	1988–89	9013	66014	ए/2ए
3.	1989–90	36713	71052	ए/3
4.	1990–91	47918	46011	ए/4
5.	1991–92	25711	55336	ए/5
6.	1992–93	44440	47327	ए/6
7.	1993–94	22411	91529	ए/7
8.	1994–95	55399	52423	ए/8
9.	1995–96	46411	30889	ए/8ए
10.	1996–97	39206	2492	ए/9
11.	1997–98	32056	18034	ए/10
12.	1998–99	3384	–	ए/11
	कुल राशि	425661	556408	

यह कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वास्तव में कोई कमी नहीं थी, कमी से अधिक अधिक्य थी। इस संबंध में अनुलग्नक–20 से 28 तक के दस्तावेजों में अधीक्षक महोदय ने लेखों में अधिक और कमी से अभिलेखन करने की अनुशंषा की गई। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में कोई कमी नहीं थी, फिर भी अपीलार्थी से अनुलग्नक–ए31 से ए41 तक में अपीलार्थी से वसूली आदेश पारित किए गए।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उपरोक्त कार्यवाही बिना सुनवाई का अवसर दिए गए पारित की गई है। इस आधार पर भी अपीलाथी से निकाली गई वसूली राशि अनुचित एवं अवैध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2005 एवं 07.12.2005 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जावे और जो अपीलार्थी से रूपये 84,000/– की वसूली कर ली गई है, उसे मय ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से वापिस लौटाई जावे एवं आदेश दिनांक 10.04.2008 (अनुलग्नक–ए31 से ए41) को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से वसूली नहीं किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी जिस समय भण्डार शाखा में कार्यरत था, उस समय भौतिक सत्यापन किए जाने पर वसूली कार्यवाही की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग ने यह निवेदन किया है कि आलोच्य आदेश जिनके द्वारा अपीलार्थी से वसूल करने के आदेश पारित किए गए हैं, वह विधि सम्मत आदेश हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 955/2000 महेश चंद पारीक बनाम मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, जयपुर में पारित आदेश दिनांक 13.02.2008 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11964/2008 राज्य सरकार व अन्य बनाम महेश चंद पारीक व अन्य को चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को उचित माना और सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। वर्तमान प्रकरण में भी फार्मों की बेसी की राशि रूपये 5,56,408/– है और कमी की राशि रूपये 4,25,661/– है और अपीलार्थी से रूपये 4,10,171.16/– की वसूली (अनुलग्नक–ए31 से ए41) की गई है। जबकि विभाग को ऐसी स्थिति में यह करना चाहिए था कि सभी पाए गए फार्मों की राशि का समायोजन बेसी पाए गए फार्मों की

राशि से कर लिया जाता लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए आलोच्य आदेशों द्वारा अपीलार्थी से उक्त कमी पाए गए फार्मों की राशि की वसूली किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। हमारे मत में काफी समय पश्चात् अपीलार्थी से वसूली किए जाने के आदेश विधि सम्मत नहीं ठहराए जा सकते।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.05.2005 एवं 07.12.2005 तथा आदेश दिनांक 10.04.2008 (अनुलग्नक–ए31 से ए41), जहां तक इनका संबंध अपीलार्थी से राशि वसूली किए जाने से है, अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि इस राशि का समायोजन अपीलार्थी के संबंध में बेसी पाए गए फार्मों की राशि से करते हुए अपीलार्थी से आलोच्य आदेश के तहत कोई वसूली नहीं की जावे। यदि अपीलार्थी से उक्त आलोच्य आदेश के तहत कोई वसूली कर ली गई हो तो वह दो माह में अवधि में वापिस लौटाई जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य